न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– द्वितीय, अररिया।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1232 / 2026</u>
अररिया थाना कांड संख्या–239 / 2026

सुचित नारायण मंडल.....आवेदक।
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री विष्णुकांत मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– मो0 अब्दुल मन्नान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

<u>आदेश</u>

<u>23.06.2026</u> आवेदक / अभियुक्त 1–सुचित नारायण मंडल, उम्र–50 वर्ष, पिता– फतेचन्द मंडल, साकिन–खरहट गिटवास वार्ड नं0 02, थाना– रानीगंज, जिला–अररिया, की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–05.06.2026, जो अररिया थाना कांड संख्या–239 / 2026 अंतर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी.एन.एस. से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चूकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, दिनांक 05.05.2026 को सूचक पंकज कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, अररिया द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी से प्राप्त श्री प्रसेनजीत कृष्ण आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट के द्वारा दिए गए परिवाद के माध्यम से इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि किसी व्यक्ति आधार संख्या 439827404527 द्वारा पहचानकर्ता सुचित नारायण मंडल, गवाह सच्चिदानंद मंडल एवं अन्य व्यक्तियों के मिलीभगत से श्री संजय मंडल, आधार संख्या 883804173360 के बदले खड़े होकर उनका आधार में छेड़छाड़ कर दस्तावेज संख्या 7175 दिनांक 24.06.2025 को निबंधित कराया है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में इससे पूर्व दायर नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी में आवेदक की प्रत्यक्ष संलिप्तता दर्शाने वाला कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया है तथा आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप, अस्पष्ट, व्यापक और सामान्य प्रकृति का है। अभियोजन पक्ष के मामले में ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक ने कोई गलत लाभ प्राप्त किया हो या कथित कृत्य में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया है। आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे कथित घटना की कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते है।

लगातार

02

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1232/2026</u>

<u>लगातार</u>

23.06.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के पैरा–2 में वादी का पुनः बयान, पैरा–6 में घटनास्थल, पैरा–8 में साक्षी परवेज आलम का बयान, पैरा–9 में साक्षी सफी अनवर का बयान, पैरा–44 में साक्षी राजकुमार विश्वास का बयान, पैरा–53 में साक्षी कुलानंद ऋषिदेव का बयान, पैरा– 54 में साक्षी दिलीप कुमार विश्वास का बयान अंकित है, जिन्होंने घटना एवं प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–32 एवं 33 में सह अभियुक्त संजय मंडल एवं जिवछ मंडल का स्वीकारोक्ति बयान अंकित है, जिसमें उनलोगों के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त धोखाधड़ी के आधार पर जमीन खरीद–बिक्री की बात को स्वीकार किया है। इस मामले में अनुसंधान जारी है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त 1–**सुचित नारायण मंडल** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 05.06.2026 **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।